पुस्तकालय

असंशोधित

12 JUL 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

मु० (एस० ए०) 170—मोनो— 500— —20-2-2001—.

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माठ सदस्य, श्री अश्वनी कुमार चौबे, श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, श्री राम नारायण मंडल, श्री गणेश पासवान एवं श्री श्री भूदेव चौधरी अपने हाथ में तख्ती लिए हुए और नारा लगाते हुए सदन में प्रवेश कर सदन के बेल में आए ।)

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आपलोग अपनी अपनी सीट पर जाइये । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 1068

श्री शकुनी चौधरी (मंत्री): उत्तर स्वीकारात्मक है । दिसंबर, 2002 तक रिक्त पदों पर नियमानुसार चिकित्सकों का पदस्थान कर दिया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1068

श्री श्याम रजक (राज्यमंत्री): उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है ।

पुराने तार यदा कदा टूटने से जान माल की हानि की संभावना रहती है ।

पुराने तारों एवं अन्य सामानों को बदलने की प्रक्रिया अनवरत जारी रहती है । प्रयास होगा कि जहां जहां ऐसे पुराने तारों इत्यादि से जान माल की हानि की आशंका हो वहां प्राथमिकता के आधार पर बदल दिया जाएगा ।

श्रीमती रेणु देवी: अध्यक्ष महोदय, पूरे चंपारण में विशेषकर बेंतिया शहर के भीतर अभी अभी शहर में ही तार टूटने से एक की जान चली गयी । हर साल दो तीन लोग मरते हैं । हमेशा विभाग को लिखा जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है । बिजली तारों की स्थिति बिलकुल जर्जर हो गयी है । शहर में जो बिजली तारों की ऐसी स्थिति है उसको तो कम से कम ठीक करवा दिया जाय ।

श्री श्याम रजक (राज्य मंत्री): महोदय, सर्वेक्षण करा कर बदलवा देंगे ।

अध्यक्ष: शहर में जो गड़बड़ी है उसको मंत्री डाइरेक्शन देकर ठीक करा दें ।

श्री तारकेश्वर सिंह: महोदय, मेरे क्षेत्र में भी बिजली तारों की यही स्थिति है । आए दिन घटना होती रहती है ।

अध्यक्ष: प्रश्न बेतिया का है पूरे बिहार का नहीं है । आपके प्रश्न द्वारा उठाने से कोई लाभ नहीं होगा । बैठ जाइये ।

टर्न- 6/ ज्योति 12.7.02

श्री चन्द्रमोहन राय: अध्यक्ष महोदय, बिजली का तार गिरने से या विद्युत विभाग की लापरवाही से किसी व्यक्ति या किसी जानवर की मौत हो जाती है तो क्षतिपूर्त्ति देने का विधान में कोई प्रावधान है यदि है तो कितने लोगों को क्षतिपूर्त्ति का भुगतान किया गया है ।

श्री श्याम रजक (राज्य मंत्री): महोदय, विभाग में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है । अलग से : जिला प्रशासन से पारिवारिक लाभ के अंतर्गत सहायता राशि दी जाती है ।

श्री चन्द्र मोहन राय: जिला प्रशासन निश्चित रूप से वैसे लोगों के आश्रितों को पारिवारिक लाभ दे इसको सरकार सुनिश्चित करे ।